

न्यायालय तहसीलदार जसवंतपुरा

मुकदमा नंबर 26/2016

राजस्थान सरकार जरिये बनाम
पटवारी हल्का गजापुरा

गैरसायल
श्री ईश्वरसिंह पुत्र श्री मालमसिंह
जाति राजपुत निवासी वाडाभवजी


निर्णय

दिनांक:-13.10.2016

पत्रावली पेश हुयी। गैरसायल हाजिर। पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गजापुरा व निरीक्षक भू0अ0 जसवंतपुरा ने रिपोर्ट पेश की कि गैरसायल ने संवत 2073 में मौजा वाडाभवजी के खसरा नंबर 324 रकबा 0.86 हेक्टर किस्म गै.मु काकर में अनाधिकृत रूप से मकान बनाकर कब्जा किया है। जिस पर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल ने अपने जबाव में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य कोई सबूत पेश नहीं किये, नहीं पेश करना चाहता है जिससे यह साबित होता है कि गैरसायल ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

(1) के तहत संवत 2073 में मौजा वाडाभवजी के खसरा, नंबर 324 रकबा 0.86 हेक्टर किस्म गै.मु. काकर अतिक्रमी घोषित किया जाकर व अतिक्रमित रकबे से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये जाते हैं साथ ही अतिक्रमित रकबे पर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) तहत का वार्षिक लगान 5.16 का 50 गुणा रू0 258/- अक्षरे दो सौ अटठावन रूपये मात्र बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है। निरीक्षक (भू.अ.) जसवंतपुरा, पटवारी हल्का गजापुरा को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं जुर्माना कायमी हेतु लिखा जाये। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।


13.10.2016
तहसीलदार जसवंतपुरा
जिला जसवंतपुरा